



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220513
CG-DL-E-14072020-220513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2052]
No. 2052]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASHADHA 23, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2020

का.आ. 2326(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास (ट्रस्ट) "नेशनल एविएशन सिक्योरिटी फी ट्रस्ट (पैन-AADTN2508F) को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उस न्यास (ट्रस्ट) को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामतः-

- क. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों द्वारा/के अंतर्गत यथा अनुमोदित अनुदान की प्रकृति में अनुदान अथवा राज सहायता अथवा कोई प्राप्ति;
 - ख. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार मौजूदा दरों पर एकत्रित विमानन सुरक्षा फीस;
 - ग. लाभकारी के रूप में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के लिए अनुसूचित बैंकों के साथ एयरपोर्ट आपरेटर्स द्वारा रखे गए यात्री सेवा फीस के जमा (सुरक्षा संघटक) के लिए एसक्रो खातों से अंतरित राशि; तथा
 - घ. एकत्रित राशि के निवेश पर अर्जित ब्याज/लाभांश जब तक कि इसे न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है।
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा फीस न्यास (ट्रस्ट), -
- क. किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - ख. विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी;

- ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; तथा
- घ. सनदी लेखाकार से इस प्रमाणपत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 46/2020/फा. सं. 300196/07/2020-आईटीए-1]
प्रज्ञा पारमिता, निदेशक (आईटीए-1)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2326(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'National Aviation Security Fee Trust' (PAN AADTN2508F), a trust established by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that trust, namely:-

- (a) Grant or subsidy or any receipt in the nature of grant as approved by/under directions of Ministry of Civil Aviation, Government of India;
 - (b) Aviation Security Fee collected at the prevailing rates as per orders of Ministry of Civil Aviation, Government of India;
 - (c) Amount transferred from escrow accounts for deposits of the passenger service fee (security component) maintained by airport operators with the scheduled banks for Ministry of Civil Aviation, Government of India as beneficiary; and
 - (d) Interest/Dividend earned on investment of amount collected if it is utilized to meet expenditure to realize objectives of the trust.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that National Aviation Security Fee Trust,-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
 - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
3. This notification shall apply with respect to the assessment years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 46/2020/F. No. 300196/07/2020-ITA-I]
PRAJNA PARAMITA, Director, (ITA-1)